अति आवश्यक

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः– एफ 15( )14/श्रम/प्रमुवसं/3845-62 दिनांक 13-11-14

निमित,

मुख्य वन संरक्षक,
उदयपुर/जयपुर/कोटा/अजमेर/भरतपुर/बीकानेर/जोधपुर।
(वन्य जीव)जयपुरं/जोधपुर/कोटा/उदयपुर/भरतपुर।
अनुसंधान एवं प्रशिक्षण जयपुर/वनवर्धन जयपुर/विभागीय कार्य जयपुर/
एफपीआरपी जयपुर/आरवीपी कोटा/एवं प्रावैधिक सहायक प्र.मु.व.सं. राज0 जयपुर।

विषयः–वर्कचार्ज कर्मचारियों के टी.ई. प्रकरणों के निस्तारण के कम में मानव अधिकार आयोग में दर्ज परिवाद संख्या 13/10/1492

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग में दर्ज परिवाद संख्या 13/10/1492 में जारी आदेश दिनांक 30.9.14 की प्रति सलग्न प्रेषित की जा रही है। जिसके कम में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधिनस्थ सभी कार्यालय अध्यक्षों/आहरण एवं वितरण अधिकारियों से समस्त वर्कचार्ज कर्मचारियों की सूची तैयार करवाकर (जो स्थाई हो चुके है अथवा सेमी परमानेन्ट चल रहे है) सूची में अंकित किसी कर्मचारी की टी.ई. जारी करने हेतु प्रस्ताव राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग को नहीं भेजा गया है तो संबधित कार्यालय को भेजा जाकर उसकी एक प्रति वरिष्ठ अति. निदेशक (सतर्कता), नोडल अधिकारी राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग जयपुर को भेजी जाये ताकि वे बचे हुए प्रंकरणों में टी.ई. अविलम्ब जारी कर सके। उक्त कार्यवाही पश्चात् अपने अधिनस्थ सभी कार्यालय अध्यक्षों/आहरण एवं वितरण अधिकारियों से यह सर्टिफिकेट प्राप्त करे कि कोई वर्कचार्ज कर्मचारी जो सेवानिवृत हो चुका है अथवा कार्यरत है का टी.ई. से संबधित कोई प्रकरण बकाया नहीं है एवं राज्य बीमा एवं प्रावधायी विभाग को भिजवाया जाना शेष नहीं है। अधीनस्थ कार्यालय से प्राप्त सर्टिफिकेटों के आधार पर उक्त आशय का प्रमाण पत्र आपके द्वारा इस कार्यालय को दिनांक 30.11.14 से पूर्व भिजवाना सुनिश्चित करावें। ताकि राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग को दिनांक 11.12.14 से पूर्व विभाग में कोई टी.ई. से संबधित प्रकरण बकाया नहीं होने की सूचना प्रेषित की जा सके।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(ए.एस.बरार)
अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
श्रम एवं विधि
राज.जयपुर

क्रमांकः– एफ 15( )14/श्रम/प्रमुवसं/3863-65 दिनांक 13-11-14

प्रतिलिपि समस्त उप वन संरक्षकगण/वन बंदोस्त अधिकारी/कार्य आयोजना अधिकारी को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपने कार्यालय में कार्यरत कार्य प्रभारित कर्मचारियों की सूची तैयार कर पत्र में अंकित राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के निर्देशानुसार कार्यवाही कर सर्टिफिकेट सीधे ही अपने नियत्रंणाधिकारी को 7 दिवस में प्रेषित करें।

प्रतिः कम्प्यूटर अनुभाग को अपलोड हेतु।

(ए.एस.बरार)
अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
श्रम एवं विधि
राज.जयपुर

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग

आदेशिका

परिवाद सं

31.09.2014 परिवाद सं. 13/10/1492

समक्षः एकलपीठ
माननीय सदस्य डा. एम.के. देवराजन

कल दिनांक 01.10.14 को मैं एक मीटिंग में व्यस्त रहूंगा। अतः मेरे कार्यालय को निर्देश दिया था कि इस प्रकरण को डील करने वाले राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के नोडल अधिकारी को दिनांक 01.10.14 के स्थान पर दिनांक 30.9.14 को आयोग में चर्चा हेतु ~~भेजें~~ बुलावें। आज श्री अब्दुल रजाक, वरिष्ठ अति. निदेशक एवं नोडल अधिकारी, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राज. जयपुर उपस्थित आये तथा रिपोर्ट सं. पीए/वअनिदे/सर्तकता/2014/2569 दिनांक 30.9.14 प्रस्तुत की। चर्चा के दौरान उन्होंने अवगत कराया कि आयोग द्वारा इस संबंध में दिनांक 28.10.13 को आयोजित मीटिंग के पश्चात् विभिन्न विभागो से उन्हें 1485 प्रकरण प्राप्त हुए है जिनमें से 1483 प्रकरण निस्तारित किए गए तथा ऐसे 2 प्रकरणो में टी.ई. जारी करने की कार्यवाही प्रगति पर है। वरिष्ठ अति. निदेशक (सर्तकता) से आग्रह किया कि वे इस प्रकरण के संबंध में हो रही प्रगति से समय–2 पर आयोग को अवगत कराते रहें।

2. चर्चा के दौरान मेरे द्वारा श्री अब्दुल रजाक से जानकारी चाही गई कि वे कैसे सुनिश्चित करेंगे कि समस्त विभागों द्वारा सारे पेन्ड़िग टी.ई. प्रकरण उन्हें भेज दिए गए हैं तो उन्होंने अवगत कराया कि यह सुनिश्चित करने हेतु उनके पास कोई उपाय नहीं है। उन्होंने यह भी अवगत कराया कि जल संसाधन विभाग तथा वन विभाग से उन्हें आवश्यक सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि विभिन्न विभागो में कार्यरत वर्कचार्ज कर्मचारी जिन्हे विभाग द्वारा स्थाई कर दिया गया है अथवा जो सेमी परमानेन्ट चल रहे है, उनका टी.ई. जारी करने के समस्त प्रकरण राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राज. जयपुर को भेज दिए गए हैं। अतः प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राज. जयपुर, मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग,

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, मुख्य अभियंता, जन स्वा. एवं अभियांत्रिक विभाग को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने–2 विभागो के अधिनस्थ सभी कार्यालय अध्यक्षों/आहरण एवं वितरण अधिकारियों को निर्देश दे कि वे ऐसे समस्त वर्कचार्ज कर्मचारियों की सूची तैयार करे जो स्थाई हो चुके हैं अथवा सेमी परमानेन्ट चल रहे हैं, इनमें से किसी कर्मचारी का टी.ई. जारी करने हेतु प्रस्ताव राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग को नहीं भेजा गया है तो उक्त विभाग से संबंधित कार्यालय को भेजा जाकर उसकी एक प्रति वरिष्ठ अति. निदेशक (सर्तकता), नोडल अधिकारी, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर को भेजी जाये ताकि वे बचे हुए प्रकरणो में टी.ई अविलम्ब जारी कर सके। यह कार्यवाही पूर्ण होने के बाद उपरोक्त विभागाध्यक्ष सभी संबंधित अधिकारियो से यह सर्टिफिकेट प्राप्त करे कि कोई वर्कचार्ज कर्मचारी जो सेवानिवृत हो चुका है अथवा कार्य कर रहा है उनका टी.ई. प्रकरण राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग को भेजा जाना शेष नहीं है। उक्त कार्यवाही के बाद उपरोक्त चारो अधिकारी आयोग को सर्टिफिकेट भेजे कि ऐसा कोई प्रकरण उनके विभाग में शेष नहीं है।

पत्रावली दिनांक 11.12.14 को पेश करें।

30/9/14

(डा. एम.के. देवराजन)
सदस्य